राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/195

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	118/24	23/4/24		9/5/24
			Alltt 9/5/24	

अनवान

श्री कुलदीप पुत्र शक्तिनारायण श्री ओमप्रकाश पुत्र फूलचन्द धोबी

निवासी बिजौलिया निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री परवेज आलम श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: कुलदीप बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 118 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/04/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 09/05/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण भी बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित किए गए। पत्रावली में निर्णय/आदेश पारित किए गए। एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया,जिला भीलवाड़ा राजस्थान,

प्रकरण संख्याः– 118/24 तारीख दायर 23/4/24

कुलदीप ब्राह्मण ....प्रार्थी

बनाम

ओम प्रकाश वगैरा

..............................विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा.ले.रे.एक्ट

दिनांक 9/5/24

:–आदेशः–

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री कुलदीप ब्राह्मण ने जरिये अभिभाषक श्री परवेज प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भुमि ग्राम आलन पटवार हल्का किशनपुरिया ~~लक्ष्मीखेड़ा~~ तहसील बिजौलिया में आराजी नम्बर 74 किता 1 रकबा 1.0117 ~~बीघा~~ हेक्टेयर बिस्वा 0 भुमि स्थित हैं।विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं।अतःपत्थरगडी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया ।प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार / गेर खातेदार काश्तकार हैं।पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं।पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं। भू०अ०नि. ------- की पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी कमिश्नर फीस ---- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी अदा करेगा। अतःप्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरिया की आराजी नम्बर 74 रकबा 1.0117 हेक्टेयर ~~बीघा~~ बिस्वा — भुमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 118/24 तारीख 23/4/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....118.........../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

कुलदीप पुत्र शक्तिनारायण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. औमप्रकाश पुत्र फुलचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. कैलाशचन्द्र पुत्र फुलचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा में स्थित खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या 74 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)